तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म ... में ...
06-11-2020	पत्रावली पेश। वकील वादी उपस्थित है/ प्रकरण का आद्योपान्त गहन अवलोकन किया। वादी द्वारा वादपत्र में अंकित कथन, वांछित अनुतोष प्रस्तुत साक्ष्यादि पर सम्यक विचार किया। मौका रिपोर्ट 9.L.R. कुकरा दि. 12.12.2019 पर मनन किया गया। वादी द्वारा कथन किये है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय कोटा के आदेश दिनांक 4.4.1983 से ग्राम पासाखेड़ी की भूमि खसरा नं. 1 रकबा 26111 किस्म चारागाह में से 5) भूमि सड़क के किनारे की आबादी में परिवर्तित की थी, दि० 21.9.1983 को उक्त भूमि का आबादी में नामान्तरकरण दर्ज किया गया। तथा 5) भूमि पर ग्राम पंचायत को कब्जा दिया गया था। उक्त आबादी भूमि में से 45X30 वर्ग फुट का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा वादी को देकर कब्जा सम्भला दिया तथा वादी ने 8-10 लाख रुपये खर्च करके उक्त भूमि पर मकान बना लिया। सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों ने सेटलमेन्ट करते समय राजस्व नक्शे में मनमाने तरीके से खसरा नम्बर अंकित कर दिये तथा नक्शा ट्रेस में परिवर्तन उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी उक्त भूमि में से सिक्स लेन रोड़ निकाला गया है, उक्त भूमि रोड़ में अवाप्त की गई है, जिसका मुआवजा वादी को प्राप्त नहीं हुआ है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा आबादी की भूमि का किस्म परिवर्तन करने से वादी को मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुई है। अन्य कथन कर वादी द्वारा निवेदन किया कि सेटलमेन्ट के द्वारा नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड में पुराने ख० नं० 1 में से पालाखेड़ी रोड़ के सहारे जो (5) भूमि आबादी में दर्ज हुई थी उसके खसरा नम्बर 3 चारागाह दर्ज कर दिये है, इसे खारिज कर वापिस खसरा नम्बर 1 (रकबा 5) आबादी में दर्ज की जावे। एवं नक्शा ट्रेस में भी इसी तरह अंकित किया जावे। जो मुआवजा राशि आबादी की भूमि और वादी के पट्टे की भूमि में बने हुये मकान की मुआवजा राशि जो जमा है उसे जमा होने दी जावे एवं वादी के पक्ष में रिकार्ड दुरुस्ती होने के पश्चात वादी को भुगतान करने की व्यवस्था करवाई जावे। बाद वादी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजि० किया जाकर प्रति० को जरिये सम्मन तलब किया गया। दौराने सुनवाई वादी द्वारा मौका उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमिश्नर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रा.ले.प. मुकेश को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट शा.का. है। जवाब प्रतिवादी पेश किया जाकर वादी को साक्ष्यादि प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। दौरान साक्ष्य वादी द्वारा स्वयं का शपथपत्र PW-1, नकल नामान्तरकरण ग्राम पामाखेड़ी नं० 98 दिनांक 21.9.83 प्रदर्श-1, नकल नामा० ग्राम पामाखेड़ी नं० 111 दि. 14.3.85, नकल आंशिक नक्शा ग्राम पामाखेड़ी सन् 2001-02, नकल आंशिक नक्शा ग्राम पामाखेड़ी प्रदर्श-3, नकल आंशिक नक्शा ग्राम पामाखेड़ी सन् 1954-55 प्रदर्श-4, नकल फर्द मिलान सन 29.10.04 से 28.10.24 ग्राम पामाखेड़ी प्रदर्श-5, नकल जमाबंदी ग्राम पामाखेड़ी 2071-74 खाता नं० 106 प्रदर्श-6, नकल जमाबंदी बन्दोबस्त ग्राम पामाखेड़ी 2014-33 खाता नं० 39-40 प्रदर्श-7, नकल जमाबंदी ग्राम पामाखेड़ी सं० 2037-40 खाता नं. 49 व 53 प्रदर्श-8,	
	बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहरा कर कथन किये कि खसरा नं० 1 ग्राम पंचायत सनावद हुई के नाम 1983 व 1985 में दो बार आबादी दर्ज की गई थी ग्राम पंचायत द्वारा वादी को पट्टा दिया गया। पट्टा 45X30 वर्ग फिट का है। पक्का मकान बना हुआ है। आबादी भूमि को वापस चारागाह दर्ज कर देने से वादी अपनी मुआवजा राशि से महरूम हो गया है। क्योंकि पट्टा अमान्य है	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ऐसा कहा जा रहा है। मौका रिपोर्ट का अवलोकन कराया जावें वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत कर दिये है। अतः जो भूमि आबादी के स्थान पर चारागाह दर्ज कर दी गई उसे वापस आबादी दर्ज की जावे, तथा वादी को मुआवजे की राशि दिलाई जावे।	
	बाद बहस पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा आबादी भूमि को त्रुटिपूर्वक चारागाह दर्ज कर देने के कथन करते हुये उसके मकान स्थित भूमि को वापस आबादी दर्ज करवाने तथा ग्राम पँचायत द्वारा जारी तथा-कथित पट्टे वाले स्थान की भूमि का मुआवजा दिलाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।	
	हस्ब प्रदर्श-1 व प्रदर्श-2 ग्राम पामाखेडी की भूमि खसरा नम्बर १ रकबा ५) व खसरा नं. ३ रकबा ५) भूमि को चारागाह से आबादी भूमि में संपरिवर्तित किया जाकर ग्राम पंचायत के नाम पर आबादी दर्ज किया गया है। ख.नं. १ का कुल रकबा २६।।।) व ३ का १०।।)४ दर्ज था। हस्ब फर्द मिलान साबिक खसरा नम्बर १ से हाल खसरा नम्बर १ रकबा ०.६५ है, २ रकबा ०.८१ है तथा ३ रकबा २.८६ है पैबंद किये गये है। तथा ख०नं. ३ साबिक से हाल ख.नं. ५ रकबा ०.९२ है तथा ६ रकबा ०.८१ पैबंद किये गये है। उक्त भूमियों में से हस्ब प्रदर्श-6 खसरा नं० २, व ६ जे०मु० आबादी दर्ज है। हस्ब प्रदर्श-7 खसरा नम्बर १, ३, रिकार्ड में चारागाह दर्ज थी। यही स्थिति प्रदर्श-8 की है।	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी

वादी द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि की छायाप्रति
आबादी भूमि का विक्रय विलेख दि. 18.11.84
प्रस्तुत किया किन्तु उक्त प्रपत्र प्रमाणित
प्रति की छायाप्रति मात्र है, जो साक्ष्य में
ग्राह्य नहीं है। वैसे भी उक्त तथाकथित
पट्टे पर किसी सक्षम अधिकारी के
हस्ताक्षर होना प्रकट नहीं हो रहे हैं।

वादी का कथन है कि उसका बना हुआ
मकान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में है,
जिस पर उसे पट्टा प्रदान किया हुआ है।
रिपोर्ट भू.अ.नि. हल्का सुकेत के अवलोकन से
जाहिर आता है कि वादी का मकान खसरा
नम्बर हाल 3 किस्म चारागाह में बना
हुआ है। ग्राम पंचायत को आवंटित भूमि
खसरा नम्बर 2 रकबा 5 बीघा है, जो
दर्ज रिकार्ड है।

हाल व साबिक नक्शे का अवलोकन
किया गया। साबिक नक्शे खसरा नम्बर
1 रकबा 26।।।) में सैटलमेन्ट से पूर्व किस
प्रकार से 5) रकबे की [illegible] से तामील
नहीं हो रही है। खसरा नम्बर साबिक
1 रकबा 26।।।) में से 5) भूमि किस तरह
की आबादी हेतु संपरिवर्तित की गई
तथा नक्शे में वक्त आवंटन उक्त
आबादी भूमि को किस स्थान पर दर्शाया

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गया था ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रकरण में वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है, कि वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड एवं नक्शों में कांट-छांट किया जाकर वादी के मकान स्थित भूमि को अन्य स्थान पर दर्ज किया गया हो जिस कारण बन्दोबस्त का कार्य त्रुटिपूर्ण हो गया हो।

वादी द्वारा साबिक एवं हाल रिकार्ड ऐसा प्रस्तुत नहीं किया जिससे सेटलमेन्ट का हाल नक्शा त्रुटिपूर्वक पेश किया गया हो, ऐसा प्रतीत होता हो।

वादी को राजस्व नक्शा दुरुस्ती का अधिकारी नहीं पाया जाता है। मौका रिपोर्ट भी वादी के अनुतोष का समर्थन नहीं करती। मुआवजे का अनुतोष दुरुस्ती पर ही आधारित है।

अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री मुरतिब हो।

निर्णय आज दि० 6.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(देशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

Judl/Civil
Part V-10

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे ~~इब्तदाई~~

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी —मुकाम— रामगंज मण्डी
व इजलास— देशल दान (I.A.S.)

नन्दलाल —बनाम— राज0 सरकार
दावा बाबत— ~~88-89~~ R.T.Act 1955

मुकद्दमा नं.— 10 —सन्— 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू— देशल दान [I.A.S.]

बहाजरी— श्रीरामगोपाल कुल्मी एड० —मिनजानिब मुद्दई व— फैसला सरकार
—मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वाद वादी खारिज किया जाता है।

चीज— ✗ —मुबालिग— ✗ —बाबत— ✗

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह— ✗ —फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलयाबी तक— ✗ —को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख— 06 —माह— 11 —~~200~~ 2020

को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत— उपखण्ड अधिकारी
ओहदा— रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान ...	—	—
मीजान	—	—			

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा मुकदमा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. जो. 139-2006-1,00,000 फार्म